संख्या- 4/2021/215/96-आयुष-2-2021-29(बी)/2018टी0सी0

प्रेषक,

शैलेन्द्र कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
होम्योपैथी,
उ0प्र0 लखनऊ।

आयुष अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 17 फरवरी, 2021

विषय- वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में पुर्नविनियोग के माध्यम से बजट व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-नि0हो0/1073-वी0/19-20/222, दिनॉक 20.01.2021 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-03-शिक्षा-0306-राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज" के मानक मद 16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान मद में रू0 10.19 लाख (रू0 दस लाख उन्नीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किए जाने विषयक संलग्न विवरण (प्रपत्र बी0एम0-9 भाग-1) के अनुसार पुनर्विनियोग किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. विभाग द्वारा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 24-03-2020 (यथा संशोधित) में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व विभाग का होगा।
3. जिस मद से पुर्नर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है उस मद में अतिरिक्त धनराशि की मांग विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में नहीं की जायेगी।
4. स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए स्वीकृति दी गयी हैं।

भवदीय

(शैलेन्द्र कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 4/2021/215(1)/96-आयुष-2-2021, तददिनांक।

1- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
2- महालेखाकार उ0प्र0, प्रयागराज।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन/कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, होम्योपैथी निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।
5- वित्त (व्यय नियत्रंण) अनुभाग-3/ वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(के0बी0एस0 सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in